

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/एक्स-22/2023/

दिनांक:-

--आदेश--

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (गुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ. डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ. 15(88)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड/देय पे वेतन श्रृंखला
1	सुमन कुमारी	जोधपुर	20.09.2011	20.09.2020 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
2	श्यामा सारस्वत	जोधपुर	24.01.1994	24.01.2021 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
3	नसीम फातमा	जोधपुर	26.02.1994	26.02.2021 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
4	ललिता आचार्य	जोधपुर	13.09.2011	13.09.2020 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
5	भगवती सुथार	जोधपुर	13.09.2011	13.09.2020 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
6	निरमा विश्नोई	जोधपुर	14.09.2011	14.09.2020 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
7	सरिता गोयल	जोधपुर	14.09.2011	14.09.2020 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
8	टीना विश्नोई	जोधपुर	13.09.2011	13.09.2020 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10

नोट:- क्रम संख्या 01 से 08 पर अंकित कर्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:-

3/3/23

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/एक्स-22/2023/127

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जोधपुर।
2. सम्बन्धित अधीक्षक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान, राजस्थान।
3. सम्बन्धित अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालय, राजस्थान।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर